

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महाराजगंज

आदेश

श्री अमित कुमार मौर्य, प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, महाराजगंज द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि माह नवम्बर 2025 में अवकाश के दिनों में अद्योहस्ताक्षरी की रिमाण्ड ड्यूटी लगाई गयी है। अपरिहार्य कारणों से उनके स्थान पर दिनांक 02.11.2025 की रिमाण्ड कार्य हेतु श्री विपुल कुमार यादव न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, नौतनवां जनपद महाराजगंज से अनुरोध कर लिया है एवं उनकी सहमति प्राप्त कर ली गई है। उक्त प्रार्थना पत्र के परिपेक्ष में उक्त तिथि का रिमाण्ड कार्य निम्नानुसार सम्पादित किया जायेगा—

दिनांक	रिमाण्ड कार्य सम्पादित करने हेतु नामित न्यायिक अधिकारी
दिनांक 02.11.2025	श्री विपुल कुमार यादव न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, नौतनवां जनपद महाराजगंज

शेष अवकाश दिवस के सम्बन्ध में पूर्ववर्ती रिमाण्ड सम्बन्धी आदेश प्रभावी रहेगा।

दिनांक: 31.10.2025

(मुकेश यादव)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
महाराजगंज

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- 01—माननीय जनपद न्यायाधीश, महाराजगंज को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 02—पुलिस अधीक्षक महाराजगंज।
- 03—श्री विपुल कुमार, न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय नौतनवां जनपद महाराजगंज
- 04—श्री अमित कुमार मौर्य, प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, महाराजगंज।
- 05—बार एशोसिएशन, महाराजगंज।
- 06—बार एशोसिएशन, फरेन्दा, महाराजगंज।
- 07—बार एशोसिएशन, निचलौल, महाराजगंज
- 08—बार एशोसिएशन, नौतनवां, महाराजगंज।
- 09—संयुक्त निदेशक, अभियोजन महाराजगंज।
- 10—जिले के सम्पूर्ण थाने को।
- 11—गार्ड फाईल।
- 12—सिस्टम ऑफिसर/आई0सी0टी0 स्टाफ जिला न्यायालय महाराजगंज।

दिनांक: 31.10.2025

(मुकेश यादव)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
महाराजगंज